

## हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University

## श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)—246174

Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University)

पत्रांक : ग॰वि॰वि॰ / प्रशासन / 2025 / 7,87

दिनांक : 23 / 12 / 2025

अति आवश्यक

## परिपत्र (Circular)

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सर्तकता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या No. C-19011/05/2025-Vig. Dated 22 September, 2025 के अनुपालन में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली—1964 के नियम—18 (CCS Conduct Rules-1964 Rule-18) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण (Statement of Immovable Property As on 31-12-2025) पूर्ण रूप से भरकर अपने नियन्त्रक अधिकारी से अग्रसारित कर दिनांक 31—01—2026 तक संलग्न प्रारूप पर विश्वविद्यालय प्रशासन (शैक्षिक / शिक्षणेत्तर) अनुभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित शैक्षिक / शिक्षणेत्तर कार्मिक को अग्रेत्तर वेतन वृद्धि, वित्तीय उन्नयन, कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (CAS), अनापित्त प्रमाण पत्र, सर्तकता जांच प्रमाण पत्र एवं याचित प्रमाण पत्र स्वीकृत / निर्गत नहीं किया जायेगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है। संलग्न– प्रारूप।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित :--

- 1. समस्त परिसर निदेशक।
- 2. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
- 3. मुख्य छात्र सलाहकार/मुख्य सर्तकता अधिकारी/मुख्य नियन्ता/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/परीक्षा नियंत्रक/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/अधिशासी अभियन्ता/ पुस्तकालयाध्यक्ष/सुरक्षा अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी।
- 4. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी।
- 5. प्रभारी, सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र विश्वविद्यालय वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
- 6. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
- 7. निजी सचिव, वित्त अधिकारी / कुलसचिव।
- 8. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
- 9. गार्ड फाइल।

कुलसचिव -

## STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY AS ON 31-12-2025 (e.g. Lands, House, Shops, other Buildings, etc.)

	SI. No.	Description of property	Precise location (name of District, Division, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number etc.)	Area of land (in case of land and buildings)	Nature of land in case of landed property	Extent of interest	If not in own name, whose name held and his/ her relationship, if any, to the Government Servant	Date of acquisition	How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/ persons from whom acquired, (address and connection of the Government Servant, if any, with the person/ persons concerned.) please see Note 1 below	value of the property (please see Note 2 below)	Particulars of sanction of prescribed authority, if any	Total annual income from the property	Remarks
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

NAME :	I.D No. :	Signature:
Designation :	Department:	Date:

Note (1) For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government Servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term or long term and the periodicity of the payment of rent.

In column 10, should be shown, (a) where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease price or premium paid for such acquisition. (c) Where is has been acquired by lease, the total annual rent thereof also and (c) Where the acquisition is by inheritance, gift or exchange, the approximate value of the property so acquired.